DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING HIMACHAL PRADESH

तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हिमाचल प्रदेश

PROSPECTUS
OF

Driving Training & Heavy Earth Moving Machinery Operators Training School, Amb at Una
(Under S.C.V.T. Scheme)
(SESSION: 2020-2021)

ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं भारी मशीनरी चालक प्रशिक्षण स्कूल अम्ब, स्थित उना,ज़िला उना, (हि०प्र०)
(एस०सी०वी०टी० के अंतर्गत)
में प्रवेश हेतु
विवरण पुस्तिका

सत्र:2020-2021

Issued under the authority of the Principal Secretary (Technical Education) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2

आवश्यक निर्देश:

1. आवेदक कृपया प्रवेश के लिए आवेदन करने से पूर्व विवरण पुस्तिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें।
2. विवरण पुस्तिका में यदि आवश्यक हुआ तो बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन/ नवीनीकरण किया जा सकता है।
3. पंजीकरण शुल्क :- **Rs.300/-** (नगद भुगतान द्वारा) **एवम् Rs.350/-(डाक द्वारा)- for General Candidates.**
   :-Rs. 200/-(नगद भुगतान द्वारा) **एवम् Rs.250/-(डाक द्वारा) - for SC/ST/OBC candidates.**

प्रधानाचार्य के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र पहुंचने की

अन्तिम तिथि **06/10/2020**

मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं प्रवेश शुल्क आदि जमा

करवाने की तिथि **12/10/2020**

सूची

क्रमांक	सूचना	पृष्ठ संख्या
1	सूची	1
2	प्रशिक्षण का उद्देश्य(Object of Training)	2
3	प्रशिक्षण सुविधा (Training Facility)	2
4	प्रशिक्षणार्थियों का प्रवेश (Admission of Trainees)	3-6
5	प्रवेश हेतु योग्यता (Eligibility for Admission)	7
6	आवेदन पत्र देने का तरीका (Procedure For Applying)	8-10
7	शुल्क तथा दूसरे व्यय (Fee and other Charges)	11
8	विषय पाठ्यक्रम (Course of Study)	12
9	उपस्थिति का अवकाश (Attendence and Leave)	12
10	परीक्षा नियम (Examination Rules)	12
11	स्वास्थ्य परीक्षा (Medical Test)	12
12	अभिरुचि परीक्षा (Aptitude Test)	13
13	छात्रवृतियां (Scholarship)	13
14	सामान्य नियम एवं विनियम (General Rules and Regulations)	13-15
15	वर्दी (uniform)	16
16	अस्वीकरण (Disclaimer)	17
17	अनुलंग्नक (Appendix)	17
18	अनुलंग्नक –(Appendix)- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,	18-38

1. प्रशिक्षण का उदेश्य (Objects of Training)

प्रदेश के बेरोजगार एवं प्रशिक्षित नवयुवको में उद्यमशीलता की भावना एवं व्यवसायिक कार्यकुशलता विकसित करने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यनिपुणता तथा विशेष एव उच्च प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए State Council For Vocational training (SCVT) स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता हैं ताकि प्रशिक्षित युवको में व्यवसाय के प्रति आत्म विश्वास तथा कार्यकुशलता पैदा हो तथा उन्हें समुचित स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सके जिसके फलस्वरूप उनमें बेरोजगारी की दर घट जाए ।

2. प्रशिक्षण सुविधा (Training Facility)

2.1 उपयुक्त उद्द**श्यों** की **पू**र्ती हेतू निम्नलिखित संस्थान में एस0 सी0 वी0 टी0 (SCVT)स्कीम के अन्तर्गत **व्यवसाय में विशेष प्रशिक्षण** की सुविधा उपलब्ध है ।

कम सं	**संस्थान का नाम**	**SCVT के अन्तर्गत चलाए जा रहे पाठयकम का नाम**	**प्रवेश क्षमता**	**प्रशिक्षण अवधि**
1	ड्राईविंग ट्रेनिगं एवम् भारी मशीनरी चालक प्रशिक्षण स्कूल, अम्ब, स्थित उना, जिला उना हि0प्र0।	मोटर ड्राइविंग एण्ड हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी ऑपरेटर (Motor Driving and Heavy Earth Moving Machinery Operator)	32 (16+16)	1 वर्ष

3. प्रशिक्षणार्थियों का प्रवेश (Admission of Trainees)

3.1 इस संस्थान में प्रवेश के लिए विभिन्न वर्गों हेतु आरक्षण निम्न प्रकार से है :

1. सामान्य वर्ग	55%
2. अनुसूचित जाति के लिए	22%
3. अनुसूचित जनजाति के लिए	5%
4. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए	18%

उपरोक्त प्रत्येक वर्ग में से निन्मलिखित उप वर्ग में आरक्षण होगा

1. भूत पूर्वसैनिकों/ सेवारत सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षित	15%
2. स्वतंत्रता सेनानी (पौत्र/ पौत्री)	2%
3. विशेष तौर पर नि:शक्त व्यक्तियों के लिए	3%
4. अंत्योदय / आईआरडीपी / बीपीएल / अनाथ के लिए	15%
5. खिलाडियों के लिए	2%
6. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अलावा अन्य पिछड़े क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए	4%

नोट :- उप-आरक्षण के तहत अनुपलब्धता की स्थिति में आरक्षण को मुख्य वर्ग में परिवर्तित किया जा सकता है।

1. 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है।

(डीजीईएंडटी, नईदिल्ली, पत्रसंख्या*DGE&T-19(27)/2007-CD Dated02.06.2008*)

2. दो सीटें एक मात्र कन्या संतान के लिए आरक्षित है।

(महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 30% सीटों में से ही भरी जाएंगी)

(एचपी योजना विभाग के पत्र संख्या*: Yojna (PL)F(11)3/2013-14 Dated 29.05.2014* के अनुसार)

3.

3.1 40 % तथा इससे अधिक नि :शक्त व्यक्तियों को प्राथमिकता के मोटर व्हीकल एक्ट एवम् समस्त में दिए गये प्रावधान के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा ।

3.2 40 % तथा इससे अधिक नि:शक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता की दशा में इससे कम नि:शक्त व्यक्ति भी मैरिट के आधार पर प्रवेश के पात्र होंगे , परन्तु उन्हें पूर्ण नि:शक्त व्यक्तियों को मिलने वाली सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होगी ।

3.3 नि:शक्त व्यक्तियों को ट्रेड आवंटन निशक्तता के आधार पर SCVT के नियमानुसार होगा।

4. सुरक्षित श्रेणियों से सम्बन्धित प्रत्याशियों को प्रवेश देने के उदेश्य से वर्गानुसार मैरिट लिस्ट (योग्यता सूची) बनाई जाएगी। व्यवसायिक कोर्सों का विवरण वर्गानुसार, पूर्णतया योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

5. अनाथ परिवारों के लिए आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश हेतु प्रार्थना-पत्र पर केवल तभी विचार किया जाएगा। यदि प्रार्थना पत्र के साथ सम्बन्धित इलाके के उप-मंडलाधिकारी (नागरिक) अथवा ज़िलाधीश महोदय द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न होगा।

3.2 खिलाड़ी वर्ग के लिए उपलब्धियों के अनुसार वर्गीकरण एवं अंको का अधिभार (केवल खिलाडी वर्ग में मैरिट हेतु)

क्रम संख्या	श्रेणी	उपलब्धियों के अनुसार वर्गीकरण
1	प्रथम (ए ग्रेड)	1. सीनियर अंतराष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रतिनिधित्व करने पर 2. जूनियर अंतराष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रतिनिधित्व करने पर
2	दूसरी (बी ग्रेड)	**1.** सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रतिनिधित्व करने पर या पूरे भारत में संयुक्त विश्वविद्यालय टीम प्रतिनिधित्व करने पर या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व करने पर । **2.** जूनियर राष्ट्रीय टीम में प्रतिनिधित्व करने पर या जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व करने पर या स्कू लों की राष्ट्रीय टीम में प्रतिनिधित्व या स्कूल नेशनल चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व किया हो।
3	तीसरा (सी ग्रेड)	**1.** राज्य की सीनियर टीम में प्रतिनिधित्व करने पर या विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व करने पर या विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप में भाग लिया हो। **2.** जूनियर स्टेट चैम्पियनशिप या स्कूल स्टेट चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व या राज्य स्तर आईटीआई खेल प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया हो।
4	चौथा (डी ग्रेड)	**1.** विश्वविद्यालयस्तर पर अपने कॉलेज के लिए भाग लिया लेकिन राज्य / विश्वविद्यालयस्तर के खिलाड़ी का दर्जा हासिल न हुआ हो । **2.** स्कूल के लिए किसी भी स्तर में भाग लिया हो लेकिन राज्य स्तर के खिलाड़ी का दर्जा प्राप्त न हुआ हो ।

स्पोर्ट्स ग्रुप के अनुसार खिलाड़ियों को दिए जाने वाले अंको का अधिभार:

क्रम संख्या	ग्रेड	सीनियर डिवीजन		जूनियर डिवीजन		टिप्पणी
		विजेता	विजेता के अलावा	विजेता	विजेता के अलावा	
1	प्रथम (ए ग्रेड)	10	8	8	6	खिलाड़ी वर्ग के अंतर्गत भरे जाने वाले स्थानों के लिए अलग मैरिट बनाई जाएगी । जिसे बनाते समय प्रत्याशी द्वारा खेल कूद में प्राप्त की गई सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि के आधार पर उसे इस सारणी में दिए गये मानकों अनुसार अतिरिक्त अधिभार उसके मैरिट में जोड़ कर खिलाड़ी वर्ग हेतु उसकी योग्यता का निर्धारण किया जाएगा । यह मैरिट केवल खिलाड़ी वर्ग के प्रवेश के लिए ही मान्य होगी, अन्य श्रेणियों में प्रवेश के लिए केवल प्राप्तांक ही मान्य होंगे । खिलाड़ी वर्ग के अंक मनोनित संस्थान से सत्यापन के बाद ही मैरिट में जोड़े जायेंगे (प्रत्येक जिले में मनोनित संस्थान हैं)
2	दितीय(बी ग्रेड)	8	6	6	5	
3	तीसरा (सी ग्रेड)	6	4	4	3	
4	चौथा (डी ग्रेड)	4	2	2	1	

नोट: -

1. प्रमाण पत्र भारत सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित राज्य सरकार या मान्यता प्राप्त खेल संगठन द्वारा जारी किया होना चाहिए ।

2. खेल प्रमाण पत्र खेल / शिक्षा या खेल या शिक्षा विभाग के उप निदेशक / सहायक निदेशक / संयुक्त निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया होना चाहिए।

3. राज्य खेल संघों / संगठनों द्वारा जारी किए गए खेल प्रमाण पत्र खेल संघ के राज्य सचिव द्वारा सत्यापित एवं खेल विभाग के निदेशक / उप निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने चाहिए।

4. युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा जारी किए गए खेल प्रमाण पत्र, निदेशक / उप निदेशक खेल विभाग द्वारा सत्यापित किये होने चाहिए।

5. खिलाडियों के बराबर अंकों के मामले में व्यक्तिगत-खेल को टीम -खेल पर वरीयता दी जाएगी इसी प्रकार से Distinction के साथ खेल प्रमाण पत्र को बराबर अंकों के मामले में वरीयता दी जाएगी।

6. सांस्कृतिक गतिविधियों / प्रतियोगिताओं के लिए कोई अधिभार नहीं दिया जाएगा।

7. अतिरिक्त अधिभार खेल श्रेणियों के बीच में ही लागू होगा, यह प्रवेश के लिए सामान्य मैरिट लिस्ट की मैरिट में नहीं जोड़ा जायेगा।

7 खेल से सम्बन्धित अधिभार अंकों के लिए उम्मीदवार को नामित (Designated Institute) संस्थान में तय तिथि को प्रमाण पत्र सहित जाना होगा।

3.3 सैनिक वर्ग हेतु आरक्षण में वरीयता के लिए मापदंड

भूत पूर्व सैनिकों की उप-श्रेणी के लिए वरीयता क्रम इस प्रकार से लागू होगा:-

1. शहीद / विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे / आश्रित (जिसमें शान्तिकालीन समय के दौरान शहीद /विकलांग रक्षा सैनिकों के बच्चे / आश्रित भी शामिल है।)
2. पूर्व सैनिकों के बच्चे / आश्रित
3. सेवारत रक्षा जवानों के बच्चे / आश्रित
4. सेवारत रक्षा अधिकारियों के बच्चे / आश्रित
5. पूर्वसैनिक

ध्यान दें:

1. प्रवेश के लिए युद्ध के समय आपरेशन/सैन्य अभियान के दौरान शहीद / नि:शक्त पूर्व सैनिकों के बच्चों / आश्रितों को शांति समय आपरेशन/ सैन्य अभियान के दौरान शहीद / नि:शक्त पूर्व सैनिकों के बच्चों / आश्रितों पर वरीयता दी जाएगी।

2. पूर्व सैनिक द्वारा रक्षा प्रतिष्ठान से हासिल शैक्षिक योग्यता को निम्न के बराबर माना जायेगा:

क. सेना के विशेष शिक्षा प्रमाण-पत्र में उत्तीर्ण	10^{th}पास के बराबर
ख. सेनाक्लास -1 प्रमाण-पत्र में उत्तीर्ण	8^{th}पास के बराबर
ग. सेनाक्लास -2 प्रमाण-पत्र में उत्तीर्ण	6^{th}पास के बराबर
घ. सेनाक्लास -3 प्रमाण-पत्र में उत्तीर्ण	4^{th}पास के बराबर

3. भूतपूर्वसैनिक / रक्षा सेवा में व्यक्तिगत पुरस्कार (वीरता पुरस्कार) की वरीयता निम्न होगी : -

1 परमवीर चक्र	2 अशोक चक्र	3 सर्वोत्तम युद्धसेवा मैडल
4 महावीर चक्र	5 कीर्ति चक्र	6 उत्तम युद्धसेवा मैडल
7 वीर चक्र	8 शौर्यचक्र	9 युद्धसेवा मैडल
10 सेना- नौसेना / वायु सेना मैडल	11 प्रेषण में उल्लेख	

3.4 अन्य उप-श्रेणियों के लिए प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में दिशा निर्देश

क. स्वतंत्रता सेनानी के पोते / पोतियाँ :-

प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किया होना चाहिए।

ख. नि:शक्त उमीदवारों के लिए :-

(i) नि:शक्त उम्मीदवारों को दाखिले में **3%** आरक्षण केवल सम्बन्धित व्यवसाय में प्रशिक्षण के लिए फिट उम्मीदवारों को ही दिया जायेगा ,दस्तावेजों के सत्यापन संस्थान में उम्मीदवार को करवाना होगा। **(As per** H.P.Govt. **letter no: EDN (TE)F(7)7/98 dated** 25/03/2000 **)**

(ii) मानसिक रूप से मंद उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

(iii) इस श्रेणी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की विकलांगता **40%** या इससे अधिक होनीं चाहिए।

(iv) मेडिकल प्रमाण पत्र **letter No:- 5-7/88-wel-ah dated 23.03.89 of the Director, Social and Women Welfare , Himachal Pradesh Shimla (Amended from time to time)** में निहित प्रावधान के अनुसार ज़िलास्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया जाना चाहिए। कमेटी में **CMO/ SMO** और विकलांगता के क्षेत्र में विशेष चिकित्सा अधिकारी होना आवश्यक है।

ग. अंत्योदय / आईआरडीपी / अनाथ / बीपीएल:-

हिमाचल प्रदेश सरकार , सचिव Personnel के पत्र संख्या: **APII.B (2) 5/78** दिनांक **03.07.91** के अनुसार आई.आर.डी.पी.उप-श्रेणी के लिए उम्मीदवारों को आरक्षण दिया जायेगा। इस उप-श्रेणी के तहत प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को आई.आर.डी.पी./ बी.पी.एल./ अंत्योदय / अनाथ का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा:

प्रमाण-पत्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।

(ii) प्रमाण पत्र (01.08.2018) को छह महीने की अवधि से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(iii) अनाथ का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित एस.डी.ओ (सिविल) / S.D.M. या सम्बन्धित ज़िला उपायुक्त द्वारा जारी किया होना चाहिए।

घ. पिछड़े क्षेत्र से (अनुसूचित जन जाति क्षेत्र के अलावा अन्य) सम्बन्धित उम्मीदवार :-

पिछड़े क्षेत्र (अनुसूचित जन-जाति क्षेत्र के अलावा अन्य) से सम्बन्धित उम्मीदवारों की वरीयता निम्न होगी :

(i) प्राथमिक / मिडल / दसवीं की परीक्षा पिछड़े क्षेत्र में स्थित स्कूल से नियमित उम्मीदवार के रूप में कोई एक परीक्षा पास की होनी चाहिए।

(ii) उपरोक्त उम्मीदवार न होने पर पिछड़े क्षेत्र के आस पास में स्थित स्कूल से प्राथमिक / मिडल/ दसवीं में से किसी एक परीक्षा को नियमित उम्मीदवार के रूप में पास किया होना चाहिए।

(iii) उपरोक्त (i) एवं (ii) में वर्णित उम्मीदवार न हो तो तो पिछड़े क्षेत्र के उम्मीदवार (पिछड़े क्षेत्र में जन्म लिए उम्मीदवार)

(iv) उप-श्रेणी (अन्य पिछड़ा क्षेत्र वर्ग के उम्मीदवार (अनुसूचित जन जाति क्षेत्र के अलावा) के रूप में ऊपर लिखित उम्मीदवार की अनुपलब्धता के मामले में इसे मुख्य वर्ग में विलय कर दिया जायेगा।

3.5 विभिन्न वर्गों के अंतर्गत प्रवेश हेतु एक ही रोस्टर अपनाया जाएगा। रोस्टर प्रतिवर्ष कैरी ओवर किया जाएगा। यदि रोस्टर में उपलब्ध बिन्दु (Point) अनुसार सम्बन्धित वर्ग में योग्यतानुसार प्रत्याशी उपलब्ध न हों तो रोस्टर के अगले पॉइंट से सम्बन्धित वर्ग के योग्य प्रत्याशी को योग्यतानुसार प्रवेश दे दिया जाएगा।

3.6 सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए केवल वे प्रत्याशी ही आवेदन –पत्र भेजने के लिये पात्र होंगे जो कि सम्बधित व्यवसाय हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कि शर्त पूरी करते हों। प्रवेश पूर्णतया योग्यता के आधार पर होगा। प्रवेश निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको की प्रतिशतता पर आधारित पूर्णतया योग्यता के अनुसार ही होगा। खेलकूद वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु योग्यता का निर्धारण पैरा 3.2 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

4. प्रवेश हेतु योग्यता (Eligibility For Admission)

4.1 प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश पूर्णतया योग्यता के आधार पर होगा।

4.2 योग्यता का निर्धारण सम्बंधित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारण शैक्षणिक / व्यवसायिक योग्यता में प्राप्त अंको की प्रतिशता पर आधारित होगा।

4.3 केवल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी अथवा हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों (प्रदेश सरकार के निगमों / बोर्डो / उपक्रमों के कर्मचारियों सहित) के बच्चों हेतु ही प्रवेश उपलब्ध होगा।

4.4 मोटर ड्राविंग पाठ्यक्रम हेतु आवदेक कर्ता का प्रवेश पूर्णतया योग्यता एवं मेडिकल फिटनेस के आधार पर होगा तथा चयनित प्रत्याशियों को प्रवेश लेते समय सरकारी अस्पताल के चिकित्सक महोदय द्वारा प्रदान किया गया फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा, कि प्रत्याशी इस व्यवसाय के लिए लागू Motor Vehicle Act के अधीन निर्धार्रित किये गए फिजिकल फिटनेस स्तर के अनुसार मेडिकल फिट हैं अन्यथा प्रत्याशी को किसी Gazetted अधिकारी द्वारा दिया गया हैं। (Latest) चरित्र प्रमाण-पत्र भी पेश करना होगा। जो कि सत्र शुरू होने से अधिक से अधिक 6 मास पूर्व की अवधि का हो ।

4.5 विभिन्न पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा निम्न प्रकार से हैं

क्रम सं०	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक / व्यवसायिक योग्यता	टिप्पणी (Remarks)
1.	मोटर ड्राइविंग एण्ड हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी ऑपरेटर्स (Motor Driving and Heavy Earth Moving Machinery Operator)	लाइट मोटर व्हीकल चलाने का न्यूनतम एक वर्ष पुराना लाइसेंस (TPT)	न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष

4.6 प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी की योग्यता (Merit) का निर्धारण प्रवेश हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त कुल अंको की प्रतिशतता पर आधारित होगा ।

4.7 ऐसे पाठ्यक्रम जिसके लिए निर्धारित विषयों सहित 10+2 स्कीम के अंतर्गत दसवीं अथवा समकक्ष परीक्षा में पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो । प्रवेश आवेदन-पत्र भेजते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाये कि आवेदन करने वालों को सम्बन्धित व्यवसाय हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पास किये होने के सबूत में बोर्ड/ यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की गई विस्तृत अंक तालिका कि सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन-पत्र के साथ लगानी आवश्यक होगी ।

नोट :-

(i) दो प्रत्याशियों कि निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता समान होने पर जिस प्रत्याशी की आयु बड़ी होगी उसे योग्यता सूची में ऊपर रखा जाएगा ।

(ii) उम्मीदवारों की आयु प्रवेश के लिए निर्धारित मास के प्रथम दिवस को 20 तथा 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए । परन्तु भूतपूर्व सैनिकों एवं सैनिक वर्ग के बच्चों तथा आश्रितों, अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के प्रत्याशियों के लिए उपरी सीमा में 5 वर्ष कि छूट होगी । इसी प्रकार शारीरिक रूप से विकलांग प्रत्याशियों के लिए उपरी आयू सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी ।

(iii) दाखिले के समय योग्यता के आधार पर वितरित कि गई ट्रेड बाद में किसी भी कारण बदली नहीं जाएगी।

(iv) ऐसे प्रत्याशी प्रवेश के पात्र नहीं होंगे जिन्होंने कि मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा बाई पार्ट्स (By Parts) पास की हो ।

5. आवेदन - पत्र देने का तरीका (Procedure For Applying)

5.1 प्रवेश पाने के लिए इच्छुक प्रत्याशी का आवेदन-पत्र इस विवरण पुस्तिका (Prospectus) में संलगित आवेदन पत्र (Appendix-II) पर (विवरण पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित) पूर्ण रूप से भर कर एवं आवश्यक प्रमाण-पत्रों सहित कार्यालय में पहुँच जाना चहिये। अपूर्ण अथवा बिना सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों सहित दिया गया अथवा ठीक से न भरा गया तो आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा। प्रत्येक संस्थान में प्रत्येक व्यवसाय के लिए प्रवेश नहीं होगा, परन्तु यह प्रवेश परिशिष्ट 'ए' के अंतर्गत दी गई प्रशिक्षण व्यवस्था के अनुरूप होगा । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुआ आवेदन-पत्र अस्वीकार (Reject) कर दिया जाएगा। प्रत्याशी को प्रवेश आवेदन-पत्र में की गई प्रत्येक (Cutting) की अपने हस्ताक्षर द्वारा पुष्टि करनी होगी अन्यथा वह आवेदन-पत्र अपूर्ण माना जाएगा और उसे अस्वीकार भी किया जा सकता है।

नोट

1.1 प्रवेश हेतु आवदेन-अधि सूचित अंतिम तिथि को सायं 5 बजे निर्धारित कार्यालय में पहुंच जाने चाहिये , चाहे आवेदक द्वारा दी गई निर्धारित परीक्षा (Qualifying Exam) का परिणाम घोषित न हुआ हो अथवा इन परीक्षाओं की अंक तालिका/ परिणामफल आवेदक को प्राप्त न हुए हों। अंक तालिका परिणामफल की

सत्यापित प्रतिलिपि प्रत्याशी द्वारा प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक दिए जा सकते हैं बशर्ते कि प्रवेश आवेदन-पत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक पहले ही दे दिया गया हो।

1.2 प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि को प्रत्याशी को अपने मूल प्रमाण-पत्रों सहित प्रवेश हेतु प्रधानाचार्य के कार्यालय में पेश होना होगा , इस सम्बन्ध में प्रत्याशी को अलग से कोई पत्र नहीं भेजना होगा।

2.1 प्रत्याशी को प्रवेश के लिये केवल एक ही आवेदन-पत्र देना होगा। रोस्टर के क्रम से वर्ग की योग्यतानुसार (as per merit) प्रत्याशी को प्रवेश हेतु बुलवाया जाएगा।

2.2 प्रत्याशी को केवल एक वर्ग एवं एक उपवर्ग जिसके अंतर्गत वह प्रवेश चाहता है/ चाहती है, का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। एक से अधिक वर्ग/ उपवर्ग लिखने पर केवल प्रथम वर्ग/ उपवर्ग पर ही विचार किया जाएगा। वर्ग एवं उपवर्ग का उल्लेख न करने पर प्रत्याशी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा तथा उसे सामान्य वर्ग का माना जाएगा।

नोट :-

i) संस्थानों में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र कि अन्तिम तिथि तथा इन संस्थानों में प्रवेश हेतु मूल प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होने कि तिथि इस विवरण पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर दी गई है।

ii) सम्बन्धित संस्थानों के कार्यालय में न भेजे गये, प्रवेश आवेदन-पत्रों पर बिल्कुल भी गौर नहीं किया जाएगा और इस प्रकार के आवेदन-पत्रों को सीधा नामंजूर किया जा सकता है।

5.2 विवरण पुस्तिका में निर्धारित आवेदन-पत्र के अलावा उसकी किसी भी प्रकार से की गई कॉपी (टाइप अथवा फ़ोटोस्टेट इत्यादि) मंजूर नहीं की जायगी।

5.3 प्रत्याशी द्वारा भेजे गये प्रार्थना-पत्र का किन्हीं कारणों से मिलने में विलम्ब होना या परागमन में लोप हो जाने का कार्यालय पर कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा।

5.4 प्रवेश चयन समिति इस विवरण-पुस्तिका में उल्लेखित चयन विधि अनुसार प्रवेश सम्पन्न करेगी फिर भी किसी प्रकार की शंका उत्पन्न होने पर प्रवेश चयन समिति का निर्णय सब प्रत्याशियों के लिये बाध्य एवं अंतिम होगा। प्रवेश चयन समिति प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार प्रत्याशियों का, उनकी योग्यता एवं वर्गानुसार प्रवेश सम्पन्न करेगी। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित न होने वाले प्रत्याशियों का प्रवेश पर कोई अधिकार नहीं होगा और खाली रहे स्थान, रोस्टर एवं योग्यता सूची के अनुसार अगले प्रत्याशियों से भरे जायेंगे।

5.5 प्रत्येक संस्थान द्वारा योग्य प्रत्याशियों के (Waiting list) बनाई जाएगी ताकि उस संस्थान में खाली बचे स्थानों को बाद में (Institution level) पर मैरिट के आधार पर भरा जा सके।

5.6 विभिन्न आरक्षित वर्गों के अंतर्गत प्रवेश हेतु सभी व्यवसायों के लिये एक ही रोस्टर (Roster System) अपनाया जाएगा तथा सम्बन्धित प्रधानाचार्य महोदय, जिन द्वारा कि प्रवेश सम्पन्न किया गया है, के कार्यालय में उपलब्ध होगा। यदि रोस्टर के अनुसार किसी वर्ग विशेष के योग्य प्रत्याशी उपलब्ध न हों तो रोस्टर के अगले (Point) से सम्बन्धित वर्ग के योग्य प्रत्याशी को योग्यता अनुसार अवसर दिया जाएगा।

5.7 आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित (Certified) प्रतियाँ साथ संलग्न करनी होंगी, चाहे वे प्रमाण-पत्रों कि (Attested) फ़ोटोस्टेट प्रतियाँ ही क्यों न हों :-

i) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु बोर्ड/ स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र।

ii) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण हेतु यूनिवर्सिटी/ बोर्ड द्वारा दिया/ दिए गए प्रमाण-पत्र।

iii) हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र अथवा हिमाचल प्रदेश/ भारत सरकार के हिमाचल में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चे होने का प्रमाण-पत्र।

iv) जिस आरक्षित वर्ग के अंतर्गत (अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े क्षेत्र के निवासी इत्यादि) प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र दिया गया है उस वर्ग से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र जो सम्बन्धित इलाका के सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया हो।

v) अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना न हो।

vi) पंजीकृत शुल्क के रूप में सामान्य श्रेणी से रु० 300/- (cash counter) व रु०350 डाक द्वारा तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए पंजीकृत शुल्क रु० 200 होगी तथा डाक द्वारा रु० 250 मूल्य के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का उस संस्थान के प्रिंसिपल महोदय के नाम रेखित ड्राफ्ट (Crossed

Bank Draft) एवम् या भारतीय डाक-तार विभाग द्वारा जारी पोस्टल ऑर्डर साथ लगाया जाना आवश्यक है।

vii) चरित्र प्रमाण-पत्र, जो कि उस संस्थान के प्रधानाचार्य महोदय द्वारा दिया होगा, जहां से कि प्रत्याशी ने अंतिम परीक्षा पास की है अथवा राजपत्रित कर्मचारी द्वारा दिया गया हो तथा 6 महीनों से अधिक अवधि से पुराना न हो ।

नोट :-

अ) उपरोक्त उप-खण्ड (vi) में वर्णित पंजीकृत शुल्क किसी भी रूप में वापिस नहीं किया जाएगा।

आ) पंजीकृत शुल्क के बिना आवेदन-पत्र अधूरा माना जाएगा और अस्वीकार किया जा सकता है।

इ) प्रत्याशी को आवेदन-पत्र में ठीक सूचना देनी चाहिए। यदि कोई भी दी गई सूचना किसी भी समय गलत/ झूठी अथवा छिपाई हुई पाई गई तो विद्यार्थी को संस्थान से निकाला जा सकता है। यदि कोई प्रत्याशी प्रवेश पाने हेतु गलत ढंग अपनाने या अपने प्रमाण-पत्रों की मूल अथवा सत्यापित प्रतियों में किसी भी स्टेज पर परिवर्तन अथवा Tampring किए हुए पकड़ा गया तो उनका प्रवेश तत्क्षण रद्द कर दिया जाएगा और इसके अलावा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

ई) यदि किसी प्रत्याशी ने गलत झूठे प्रमाण-पत्र पेश करके, हिमाचल प्रदेश के किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला लिया हो तो इस तथ्य के पता लगने पर उस संस्थान के प्रधानाचार्य को यह पूर्ण अधिकार होगा कि उस छात्र के दाखिले को उसी क्षण रद्द कर दें तथा उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही भी करें।

उ) यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के दौरान किसी भी Police Case में Involved पाया गया तो संस्थान के प्रधानाचार्य को यह पूर्ण अधिकार होगा की सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी का प्रवेश तत्क्षण रद्द कर दें तथा ऐसे प्रशिक्षणार्थी को पुनः प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

5.9 प्रवेश के लिए इच्छुक प्रत्याशियों को प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि एवं स्थान पर (जिसकी सूचना अलग से समाचार पत्रों में भी दी जाएगी) अपने सभी मूल प्रमाण-पत्रों सहित हाजिर होना होगा और वर्ग एवं योग्यता के अनुसार यदि दाखिला मिले तो उसी समय सम्पूर्ण शुल्क इत्यादि देने होंगे, अन्यथा वर्गानुसार उस प्रत्याशी के स्थान पर दाखिला योग्यता अनुसार अगले प्रत्याशी को दे दिया जाएगा और तत्पश्चात उस प्रत्याशी का प्रवेश पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। प्रत्याशियों को दाखिले के लिए कोई अलग से पत्र वगैरा नहीं भेजा जाएगा। आरक्षित वर्गो सहित प्रवेश हेतु आने वाले किसी भी प्रत्याशी को कोई टी०ए०/ डी०ए० नहीं मिलेगा। यदि अधिसूचित प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को प्रवेश प्रक्रिया समाप्त न हो सके, तो प्रत्याशी को उस स्थान पर ठहरना (Over Stay) पड़ सकता है। जो प्रत्याशी योग्यता एवं वर्गानुसार अधिसूचित प्रवेश कार्यक्रमानुसार निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर अपने सभी मूल प्रमाण-पत्रों सहित प्रवेश हेतु उपस्थित न हो सके तो उसको बाद में अन्य तिथियों पर प्रवेश हेतु कोई भी अधिकार नहीं होगा।

5.10 दाखिले के लिये चुने गये प्रत्याशियों को निश्चित तिथि को सम्बन्धित संस्थान में अपनी-अपनी कक्षा में जाना होगा। यदि कोई विद्यार्थी बिना सूचना दिए पहले पांच कार्य दिवसों (Working Days) तक कक्षा में अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जाएगा कि उसे प्रवेश स्वीकार नहीं है तथा इस तरह रिक्त होने वाली सीट पर 'प्रतीक्षा सूची' में योग्यतानुसार दूसरा प्रशिक्षणार्थी दाखिल किया जा सकता है।

6. शुल्क तथा दूसरे व्यय (Fee and other Charges)

6.1 प्रवेश के लिये चुने गये प्रत्याशियों को निम्नलिखित शुल्क तथा निधियां देनी होगीं:-

क्रमांक	शुल्क	रुपये	टिप्पणी
1	प्रवेश शुल्क	200/-	
2	शैक्षणिक शुल्क	6000/-	
3	पहचान-पत्र शुल्क	50/-	(प्रत्याशी द्वारा सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को पहचान पत्र में लगाने के लिये एक पासपोर्ट आकर कि फोटो देनी होगी)
4	विद्यार्थी कल्याण निधि शुल्क	500/-	
5	विकास निधि (भवन निधि सहित)	1500/-	
6	चिकित्सा शुल्क	500/-	
7	आन्तरिक परीक्षा शुल्क	300/-	
8	कंप्यूटर शुल्क	-	सम्बन्धित कोर्सो के लिए
9	बीमा शुल्क	1000	मोटर ड्राइविंग कोर्सो के लिए
10	संस्थान जमानत (वापसी योग्य)	500/-	
11	कॉपर्स निधि (वर्ष)	20/-	निदेशालय में जमा करवाने के लिये
12	छात्रावास जमानत (वापसी योग्य)	500/-	केवल छात्रावास निवासियों के लिए
13	छात्रावास किराया	600/-	केवल छात्रावास निवासियों के लिए
14	सर्विस चार्जिस	50/-	केवल छात्रावास निवासियों के लिए
15	बिजली तथा पानी की खपत	300/-	केवल छात्रावास निवासियों के लिए

नोट :-

(क) शुल्क/ जमानतों का आरोपण बिना सूचना परिवर्तित हो सकता है।

(ख) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश के समय 500/- रुपए धरोहर के रूप में उपरोक्त पैरा 4.1(X) के अनुसार संस्थान जमानत के रूप में जमा करवाने होंगे जो उसके प्रशिक्षण समाप्ति पर अथवा प्रशिक्षण छोड़ देने पर वापिस कर दिए जायेंगे । प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी मशीन व अन्य उपकरणों को टूट-फूट का जिम्मेवार होगा या यदि कोई उपकरण गुम हो जाये तो उस द्वारा दी गई 500/- रूपये की उसकी धरोहर राशी से उतना मुल्य काट दिया जायेगा और यदि नुकसान धरोहर राशी से अधिक हो तो उसे अंतर की अधिक राशी भी जमा करवानी होगी ।

(ग) उपर लिखित विद्यार्थी कल्याण निधि शुल्क के अंतर्गत खेल कूद, आमोद प्रमोद, उद्योग / संस्थाओ/परियोजन / भ्रमण / वार्षिक उत्सव तथा विद्यार्थी के लिए अन्य सुविधाएं देने का प्रयोजन हैं । यह एक गैर सरकारी फण्ड है जो कि सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्या महोदय द्वारा नियंत्रित किया जाता हैं ।

(घ) ऊपर लिखित वर्णित (i) तथा (ii) के अंतर्गत शुल्कों के अतिरिक्त बाकि सभी निधियां Amalgamated Fund के रूप में देने होंगे ।

6.2 विद्यार्थियों को छात्रावास /संस्थान छोड़ने के पश्चात एक वर्ष के अन्दर – अन्दर अपनी सभी जमानते (छात्रावास तथा संस्थान इत्यादि) वापिस लेनी होगी और उस समय के दौरान वापिस न ली जाने वाली जमानत जब्त हो जाएगी और विद्यार्थियों को उस हालत में निश्चित अवधि के बाद उन जमानतों पर कोई अधिकार नहीं होगा और इस प्रकार रही अदत राशी विद्यार्थी कल्याण निधि शुल्क के अंतर्गत ही जमा कर दी जाएगी ।

6.3 परीक्षाएं (Examination) प्रत्येक पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा S.C.V.T द्वारा ली जाती हैं उस परीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश तकनिकी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क इत्यादि देने होंगे।

नोट :- ये शुल्क/ निधियां किसी भी समय बिना सूचना के परिवर्तन हो सकते हैं ।

7. विषय पाठ्यक्रम (Course of Study)

7.1 सभी उपलब्ध व्यवसायों के पाठ्यक्रम एस.सी.वी.टी.(S.C.V.T.) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं ।

8. उपस्थिति एवं अवकाश (Attendance and Leave)

8.1 इन पाठ्यक्रमों हेतु उपस्थिति एवं सम्बन्धित नियम एन.सी.वी.टी.(N.C.V.T.) द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होंगे।

9. परीक्षा नियम (Examination Rules)

9.1 इन पाठ्यक्रमों हेतु एस.सी.वी.टी.(S.C.V.T.) द्वारा परीक्षा नियम निर्धारित किए जाते हैं।

10. स्वास्थ्य परीक्षा (Medical Test)

10.1 दाखिले के लिये चुने गए प्रत्याशी को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला लेते समय सरकारी चिकित्सा अधिकारी जो कि राजपत्रित श्रेणी-2 से निम्न पदवी का न हो, द्वारा दिया गया शारीरिक योग्यता का प्रमाण-पत्र पेश करना होगा । इन संस्थानों में Mentally retared प्रत्याशियों को दाखिला नहीं दिया जाएगा।

नोट :-

इस प्रमाण-पत्र को आवेदन पत्र के साथ नहीं भेजना चाहिए बल्कि इसे प्रवेश के समय देना होगा।

10.2 प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ अपंग प्रत्याशियों को निदेशक, समाज एवं महिला कल्याण विभाग , हिमाचल प्रदेश, शिमला के पत्र संख्या 5/7/88 वेल. ए.एच., दिनांक 23/03/1989 तथा तदोपरान्त इस सम्बन्ध में जारी किए गए संशोधनों सहित के अनुरूप ज़िला स्तर पर निर्धारित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। उपरोक्त वर्णित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र कि अवधि केवल 3 वर्ष तक होगी। इस अवधि के उपरान्त अपंग प्रत्याशी को उपरोक्त वर्णित मेडिकल बोर्ड द्वारा नया प्रमाण-पत्र लेना होगा । उपरोक्त वर्णित मैडिकल बोर्ड के अतिरिक्त किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गया स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा तथा इस प्रकार के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ दिए आवेदन-पत्र को अपूर्ण माना जाएगा।

11. अभिरुचि परीक्षा (Aptitude Test)

11.1 प्रवेश के पश्चात दो माह के अन्दर प्रत्येक विद्यार्थी का अभिरुचि (Aptitude) टैस्ट लिया जाएगा । उक्त परीक्षा में यदि कोई प्रशिक्षणार्थी असफल पाया गया तो उसे संस्थान से निकाला जा सकता है।

आन्तरिक असैसमेंट (Internal Assesment)

11.2 प्रशिक्षण के दौरान समय-समय पर परीक्षाएं ली जायेगी तथा प्रत्येक तिमाही के अंत में ली गई परीक्षा का परिणाम आन्तरिक असैसमेंट में गण्य होगा । परीक्षार्थी को आन्तरिक असैसमेंट में भी कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

12. छात्रवृतियां (Scholarship)

12.1 अनुसूचित जातियों, जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को भी सम्बन्धित विभागों द्वारा छात्रवृतियां दी जाती हैं । यह सुविधा सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार दी जाती हैं । यह सुविधा सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार दी जाति है । छात्रवृतियों के लिये समय पर आवेदन-पत्र देना छात्र की अपनी जिम्मेवारी होगी तथा इनका सम्बन्धित प्राधानाचार्य महोदय पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा । अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों इत्यादि से सम्बन्धित प्रत्याशियों को ज़िला सैनिक बोर्ड द्वारा छात्रवृतियां दी जाती है।

12.2 इच्छुक छात्रों को चाहिए कि समय-समय पर प्रधानाचार्य के कार्यालय से सम्पर्क रखें और छात्रवृतियों के आवेदन-पत्र तथा उनकी अन्तिम तिथि इत्यादि का पता करते रहें और निश्चित तिथि से पहले अपने फार्म पूर्ण रूप से भर कर कार्यालय में दें ।

13. सामान्य नियम एवं विनियम (General Rules and Regulations)

13.1 प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को संस्थान में व्यावहारिक नियमों का पालन करना होगा ताकि वह उन सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकें जो कि उसे प्रदान की गई है । यह नियम केवल मात्र प्रशिक्षणार्थियों एवं उनके सहपाठियों की भलाई और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बनाये गये हैं। इनको बिना सूचना दिये समय-समय पर बदला जा सकता है। प्रशिक्षणार्थियों को चाहिए की वे प्रतिदिन की सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करें । नियमों की अज्ञानता के कारण उल्लघंन करने पर माफ़ नहीं किया जायेगा ।

13.2 प्रशिक्षणार्थियों से आशा की जाती है कि वे सबसे सद्-व्यवहार करें, और अपने सभी सहपाठियों के साथ सम्मानपूर्वक रहें ।संस्थान के सभी कर्मचारियों को पूर्ण अधिकार है कि वे प्रशिक्षणार्थियों के गलत व्यवहार को रोकें, चाहे वे संस्थान के अन्दर हों या बाहर हों और ऐसी स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों को उनकी आज्ञा का पालन करना होगा ।

13.3 ऊँची आवाज में बोलना और बिना उद्देश्य से घूमना, यह बात दूसरों के लिए नाराजगी तथा गड़बड़ी पैदा करने वाली होने के नाते वर्जित होगी ।

13.4 धूम्रपान, मद्यपान और जुआ खेलने को संस्थान की सीमा के अन्दर तथा बाहर आज्ञा नहीं होगी। यदि कोई भी प्रशिक्षणार्थी इस नियम का उल्लघंन करता हुआ पाया गया तो उसको जुर्माना किया जायेगा और निरन्तर उल्लघंन करने वाले को संस्थान से निकला भी जा सकता है।

13.5 कक्षा में देरी से आना या कक्षा से बिना अनुमति के चले जाना, उस पीरियड के लिए प्रशिक्षणार्थी की अनुपस्थिति मानी जायेगी तथा इसके लिए 10/- रूपये जुर्माना लिया जाएगा (अधिकतम 30/- रूपये प्रतिदिन) । बिना आज्ञा अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षणार्थी को 15/- रूपये प्रति आधा दिवस अर्थात् Recess से पहले या बाद में अथवा 30/- रूपये प्रति दिवस (Full day) की दर से जुर्माना देना होगा।

13.6 किसी उपकरण से छेड़-छाड़ करने या बिना आज्ञा किसी विभाग में प्रवेश करना उचित नहीं समझा जायेगा।

13.7 किसी भी प्रशिक्षणार्थी को संस्थान के कर्मचारियों पर कोई अधिकार नहीं होगा ।

13.8 सामान, मशीनें और सब प्रकार के यंत्र, औजार और उपकरण प्रयोग के बाद उचित स्थान पर रखे जायें। अगर ये प्रयोग के समय नष्ट/ख़राब हो गये हों, तो उन कारणों को इन्चार्ज को तुरंत ही बताना होगा। यदि यह सामान असावधानी से नष्ट/ख़राब हुए हों तो यंत्र, औजार या दूसरे उपकरणों का मुल्य चुकाना होगा तथा साथ ही सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा इस हेतु तय जुर्माना भी देना होगा।

13.9 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में किसी प्रशिक्षणार्थी के सामान या धन इत्यादि खो जाने या नष्ट हो जाने पर संस्थान पर कोई जिम्मेवारी नहीं होगी ।

13.10 प्रशिक्षणार्थी को सभी प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए ।यदि संस्थान, छात्रावास, कार्यालय, प्रयोगशाला या in-plant Training में किसी प्रशिक्षणार्थी के साथ कोई दुर्घटना घट जाये तो संस्थान/विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी ।

13.11 प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को संस्थान में अपने अध्ययन का पूरा ध्यान रखना होगा। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अध्ययन कार्य संतोषजनक नहीं करेगा तो उसे दो चेतावनियां दी जाएंगी। यदि फिर भी वह अपने अध्ययन में सुधार नहीं कर पाया तो उसे नियमानुसार संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है।

13.12 यदि कोई प्रशिक्षणार्थी चरित्रहीन हो जाये या अपने कार्य को ध्यानपूर्वक न करे या संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों की आज्ञा का पालन न करे तो उसे प्रधानाचार्य द्वारा उचित जुर्माना किया जा सकता है । (अधिकतम 100/- रूपये प्रत्येक अवसर पर)। यदि प्रशिक्षणार्थी दो अवसरों के उपरान्त भी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करता है तो उस अवस्था में प्रधानाचार्य को उसे नियमानुसार संस्थान से निष्कासित करने का अधिकार होगा।

13.13 प्रवेश के समय प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को पहचान-पत्र दिये जायेंगे पहचान-पत्र गुम हो जानें पर प्रशिक्षणार्थी को लिखित सूचना तुरंत सम्बन्धित प्रधानाचार्य को देनी होगी, और उसे 100/- रूपये जुर्माना तथा 100/- रूपये प्रति अतिरिक्त पहचान-पत्र शुल्क लेकर पहचान पत्र दिया जायेगा। इसकी सूचना न देने पर या बाद में पता लगने पर प्रशिक्षणार्थी को कड़ी चेतावनी के साथ100/- रूपये जुर्माना एवं 100/- रूपये प्रति अतिरिक्त पहचान-पत्र शुल्क लेकर पहचान-पत्र दिया जायेगा ।

13.14 प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को अपनी धनराशि स्थानीय डाक घर या बैंक में जमा करवानी चाहिए और आवश्यकतानुसार धन निकलवाना चाहिए । प्रशिक्षणार्थी की धनराशि के गुम या चोरी होने पर संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा ।

13.15 संस्थान से सम्बन्धित सभी मामलों या नियमों के विषय में सम्बन्धित प्रधानाचार्य का निर्णय अन्तिम व सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए मान्य होगा ।

13.16 यदि किसी भी समय प्रधानाचार्य को यह पता लग जाये की अमुक प्रशिक्षणार्थी ने संस्थान में प्रवेश पाने या छात्रवृति प्राप्त करने हेतु किसी जाली प्रमाण-पत्र या गलत तरीकों का प्रयोग किया है, तो उसे तत्काल प्रभाव से संस्थान से निष्कासित कर दिया जायेगा और इसके अलावा उसके विरुद्ध नियमानुसार क़ानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है । यदि अनैतिक रूप से किसी प्रशिक्षणार्थी ने छात्रवृति की राशि प्राप्त कर ली हो तो ब्याज सहित वह राशि भी वापिस करनी होगी ।

13.17 यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के दौरान किसी भी Police Case में Involved पाया गया तो संस्थान के प्रधानाचार्य, को यह पूर्ण अधिकार होगा कि सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी का प्रवेश उसे तत्काल रद्द कर दें तथा ऐसे प्रशिक्षणार्थी को पुनः प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

13.18 प्रशिक्षणार्थीयों के लिए संस्थान में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग वर्जित है, उल्लघंन करने वाले प्रशिक्षणार्थीयों से पहली बार रूपये 50/- का जुर्माना लिया जायेगा, दूसरी बार 75/- तथा अन्तिम बार रूपये 100/- का जुर्माना एवं उसका मोबाइल जब्त कर लिया जायेगा ।जब्त किया गया मोबाइल प्रधानाचार्य द्वारा सेफ कस्टडी में रखा जाएगा एवं प्रशिक्षणार्थी की प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर / छोड़ने पर वापिस कर दिया जाएगा।

13.19 लगातार 10 कार्यकारी दिवसों तक बिना अवकाश प्राप्त किए अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षणार्थी का नाम संस्थान से काट दिया जाएगा। इस प्रकार नाम कटा प्रशिक्षणार्थी यदि नाम काटने के 15 दिनों कि अवधि के अन्दर प्रशिक्षण हेतु वापिस आ जाये तो उसे निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश कि अनुमति से सम्बन्धित प्रधानाचार्य चाहे तो

फिर कक्षा में उसे दोबारा दाखिल कर सकते हैं। ऐसे दोबारा दाखिल हुए प्रशिक्षणार्थी को 500/- रूपये पुनः प्रवेश शुल्क के रूप में देने होंगे।

13.20 रैगिंग क़ानूनी तौर पर पूरी तरह वर्जित है ।

नोट :-प्रत्येक प्रवेशित प्रशिक्षणार्थी को Appendix –II के अनुसार H.P. Educational Institutions (Prohibition of Ragging) Act-2009 से सम्बन्धित अंडरटेकिंग संस्थान में देनें पर ही प्रवेश दिया जायेगा ।कृपया इसे संस्थान में प्रथम उपस्थिति देते समय जमा करवायें।

RAGGING, INSIDE/OUTSIDE THE INSTITUTION, IS AN OFFENCE. AS PER THE HIMACHAL PRADESH EDUCATIONAL INSTITUTION (PROHIBITION OF RAGGING) ACT-2009, EVERY OFFENCE UNDER THIS ACT SHALL BE COGNIZABLE, NON-BAILABLE AND COMPOUNDABLE WITH THE PERMISSION OF HON'BLE COURT. IF ANY STUDENT IS FOUND INDULGING IN RAGGING ACTIVITIES DIRECTLY OR INDIRECTLY, STRICT ACTION WILL BE TAKEN AGAINST HIM/HER AS PER LAW.

14. वर्दी (Uniform)

प्रशिक्षणार्थी निर्धारित वर्दी के दो या इससे अधिक सेट संस्थान में प्रशिक्षण शुरू होनें से पहले तैयार करवा लें तथा प्रतिदिन अपने निवास स्थान /छात्रावास से संस्थान और वापिस निवास स्थान /छात्रावास तक पहुँचने तक वर्दी को पहनना अनिवार्य होगा।

ड्रेसकोड :

ग्रीष्मकालीन : स्काई ब्लू रंग की शर्ट और नेवी ब्लू रंग की पैंट तथा काले जूते।

शीतकालीन : सर्दियों के कपडे की स्काई ब्लू रंग की शर्ट, नीले रंग की स्वेटर/पुल-ओवर की पैंट तथा काले जूते और नेवी ब्लू रंग की पेंट ।

नोट:

1. प्रशिक्षणार्थी (इंजीनियरिंग व्यवसाय) को कार्यशालाओं में काम करते वक्त गहरे नीले रंग का एप्रन पहनना होगा।

2. चप्पल, ढीली एवं सिंथेटिक फाइबर से बनी पोशाक कार्यशाला में पहनने की अनुमति नहीं है। कार्यशाला इंचार्ज प्रशिक्षणार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह से ड्रेस्ड उम्मीदवार को कार्यशाला में प्रवेश से रोक सकते हैं।

3. बिना निर्धारित पोशाक पहने और बिना पहचान-पत्र के संस्थान में भाग लेने पर प्रशिक्षणार्थी को 25/- रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है । अगर वह संस्थान में लगातार अनुशासनहीनता करना जारी रखता है । तो उसे प्रधानाचार्य द्वारा संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है।

15. अस्वीकरण (Disclaimer)

Unless otherwise specifically stated, the information contained here in is made available to the public by the Department for information only and no legal claim can be made for any damage caused by using the contents of this prospectus. The Department is not responsible for any inadvertent error that may have crept in the information being published in this Prospectus. The Department reserves all the right to make any addition/ alteration/ deletion in theProspectus at any time without any further notice.

16. अनुलंग्रक (Appendix)

नोट :- अनुलग्रक I से XI आगे दिए गए हैं।

शुभ कारण सिंह
(HAS)
निदेशक तकनीकी शिक्षा
व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण
हिमाचल प्रदेश, सुंदरनगर
फैक्स एवं दूरभाष : 01907-266120

मनोज कुमार
(IAS)
प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला

परिशिष्ट-1 (Appendix-1)

विषय :- प्राप्ति कार्ड (Acknowledgement card)
विवरण:- पंजीकृत संख्या (Registration No.) ....

(संस्थान कार्यालय से अपने प्रवेश सम्बन्धी प्रत्येक पत्र-व्यवहार करते समय कृपया उपरोक्त पंजीकृत संख्या का विवरण अवश्य दें)

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान .... में .... कोर्स सत्र .... के प्रवेश हेतु आपका आवेदन-पत्र संस्थान कार्यालय में प्राप्त हो गया है।
2. आप प्रवेश हेतु अयोग्य हैं क्योंकि :-
   (ii) ....
   (ख) ....
3. आपके आवेदन पत्र में निम्नलिखित त्रुटियाँ हैं :-
   (ii) ....
   (ख) ....

निरीक्षण अधिकारी संस्थान की मोहर

....

कार्यालय के रिकार्ड हेतु

परिशिष्ट-I (Appendix-I)

प्रतिपूर्ण (Counterfoil)

विषय :- प्राप्ति कार्ड (Acknowledgement card)
विवरण:- पंजीकृत संख्या (Registration No.) ....

(संस्थान कार्यालय से अपने प्रवेश सम्बन्धी प्रत्येक पत्र-व्यवहार करते समय कृपया उपरोक्त पंजीकृत संख्या का विवरण अवश्य दें)

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान .... में .... कोर्स सत्र .... के प्रवेश हेतु आपका आवेदन-पत्र संस्थान कार्यालय में प्राप्त हो गया है।
2. आप प्रवेश हेतु अयोग्य हैं क्योंकि :-
   (ii) ....
   (ख) ....
3. आपके आवेदन-पत्र में निम्नलिखित त्रुटियाँ हैं :-
   (ii) ....
   (ख) ....

निरीक्षण अधिकारी संस्थान की मोहर

1. आपका प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।
2. आपको अपने सभी उपरोक्त प्रमाण-पत्र इत्यादि प्राधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान--------------------------------------
----
-----------------के कार्यालय में इस पत्र के प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर अथवा ---
---तक भेज देने चाहिए ।

दिनांक :---------------------------------------

पोस्ट कार्ड

भारत सरकार सेवार्थ

सेवा में

औ०प्र०सं० ----------------------------

प्रेषक:-

(निरिक्षण अधिकारी)
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

नोट:-

यह पत्र केवल आपके आवेदन-पत्र की रसीद ही है तथा यह किसी भी प्रकार का चयन पत्र नहीं है।

प्रत्याशी को यहाँ अपना पूरा पता साफ़-साफ़ लिखना चाहिए ।

....

<u>कार्यालय के रिकार्ड हेतु</u>

1. आपका प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।
2. आपको अपने सभी उपरोक्त प्रमाण-पत्र इत्यादि प्राधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान--------------------------------------
----
-----------------के कार्यालय में इस पत्र के प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर अथवा ---
---तक भेज देने चाहिए ।

दिनांक :---------------------------------------

पोस्ट कार्ड

भारत सरकार सेवार्थ

सेवा में

औ०प्र०सं० ----------------------------

प्रेषक:-

(निरिक्षण अधिकारी)
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

नोट:-

यह पत्र केवल आपके आवेदन-पत्र की रसीद ही है तथा यह किसी भी प्रकार का चयन पत्र नहीं है।

प्रत्याशी को यहाँ अपना पूरा पता साफ़-साफ़ लिखना होगा।

DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
VOCATIONAL AND INDUSTRIAL TRAINING
HIMACHAL PRADESH

तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हिमाचल प्रदेश

परिशिष्ट-II (Appendix-II)

Application form for Admission to the Course under S.C.V.T. Scheme in Industrial Training Institute in Himachal Pradesh.

केवल कार्यालय प्रयोग के लिये (For Office use only)

Admission Registration Number Qualification_________ Percentage of Marks__________ Regd. Postal orders draft No.__________ Dt.__________amounting to Rs.______________ Cahsier______________ I.T.I__________________	Objection if any (i)____________ (ii)____________ (iii)____________ (iv)____________ (v)_____________	Admitted/Not-Admitted Roll Number allotted________ Course____________ Date of start of session__________ Date of session_________ Category, Sub category_________ Against which admitted (i)__________ (ii)__________

प्रत्याशी के प्रयोग के लिये

(To be filled in by the Candidate)

नोट: प्रत्याशी को निम्नलिखित पूर्तियां अपने हाथ से पूर्ण करनी होगी।

1. **संस्थान का नाम** ....
2. **पूरा नाम श्री/ कुमारी/ श्रीमती** ....
   - अ) पिता का पूरा नाम श्री ....
   - आ) व्यवसाय ....
   - इ) मासिक आय (सभी साधनों से) ....
   - ई) संरक्षक का नाम (यदि पिता जीवित न हो) श्री/ श्रीमती ....
   - ड) प्रत्याशी से सम्बन्ध ....
3. **पूरा पता :-**
   - i) वर्तमान:-
     .... डाकघर .... तहसील ....
     ज़िला .... पिन कोड .... फोन न० ....
   - ii) स्थाई :-
     .... डाकघर .... तहसील ....
     ज़िला .... पिन कोड .... फोन न० ....
4. **जन्म स्थान और जन्म तिथि :-**
   - i) स्थान .... ज़िला .... राज्य ....
   - ii) जन्म तिथि शब्दों में ....
     अंकों में ....
   - iii) पाठ्यक्रम के शुरू होने वाले मास की पहली तारीख को प्रत्याशी की आयु :-
     .... वर्ष .... मास

5. **शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualifications) :-**

नोट :- क) मिडल से आरम्भ होने वाली परीक्षाओं सहित मिडिल या समकक्ष परीक्षा को आधार मान कर की गयी कुल परीक्षाओं का विवरण दीजिए।

ख) जितनी परीक्षा पास की हैं उन सभी परीक्षाओं की अंक तालिकाओं / प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां / छाया प्रतियां प्रवेश आवदेन-पत्र के साथ संलगित करें।

क्रमांक	**विश्विद्यालय / बोर्ड का नाम**	**पास की गई परीक्षाए**	**विश्विद्यालय / बोर्ड का रोल न०**	**वर्ष**	**श्रेणी**	**प्राप्तांक**	**कुल अंक**	**प्रतिशत अंक**	**लिये गए विषय**	**विवरण**
1										
2	मैट्रिक/ हायर सेकेंडरी भाग –1 अथवा समकक्ष परीक्षा									
3	कोई अन्य परीक्षा अगर पास की हो									
4	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत पास की गई परीक्षा तथा व्यवसाय का नाम									

6. व्यवसाय का नाम जिसके लिये आवेदन किया है i) ....
ii) ....

7. ड्राइविंग लाइसेंस का न०o व वैधता अवधि (प्रतिलिपि संलग्न करें) ....

8. अ) क्या आप हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। ....

आ) क्या आप हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारी के बच्चे हैं यदि हां तो आप के पिता / माता जी हिमाचल प्रदेश सरकार के किस विभाग में काम करते हैं।

आपके पिता / माता जी की पदवी (Degisnation) ....

आपके पिता / माता जी जहाँ नियुक्त हैं , उस जगह / स्थान का नाम तथा तिथि जब से विभाग में कार्यरत हैं। ....

9. आपके स्थाई निवास के जिले का नाम ....

10. क्या आपने किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पहले कोई ट्रेड कोर्स पास किया यदि हां तो:-

अ) उस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम तथा स्थान जहां से वह कोर्स पास किया है। ....

आ) कोर्स का नाम ....

इ) जिस वर्ष कोर्स पास किया ....

11. अ) जिस वर्ग उप-वर्ग के अंतर्गत आप प्रवेश हेतु आवदेन-पत्र दे रहे हैं उसका नाम लिखें। (वर्ग एव उप-वर्ग हेतु पृष्ठ 2 पर देखे) i) .... ii) ....

नोट:- i) यदि आवदेन पत्र में किसी वर्ग उप – वर्ग विशेष का नाम लिखा गया तो आवदेन-पत्र को General वर्ग में Consider किया जायेगा।

ii) यदि आवदेन-पत्र में दो अथवा अधिक वर्गों / उप-वर्गों का नाम लिखा गया हो तो Sequence के अनुसार जिस वर्ग का नाम पहले लिखा गया होगा केवल उसी के अंतर्गत आवदेन-पत्र Consider किया जायेगा दूसरे वर्गों में नहीं।

क्या आप अन्तोदय परिवार के सदस्य हैं। यदि हां तो :

क) जिस सक्षम अधिकारी द्वारा आपको अन्तोदय प्रमाण- पत्र जारी किया गया हैं उसका पता ....

ख) प्रमाण-पत्र की पत्र संख्या .... दिनांक ....

ग) जिस वर्ग / उप – वर्ग अंतर्गत प्रमाण- पत्र जारी किया गया हैं उसका नाम ....

नोट :- इसके समर्थन में आपको जारी किये गये अन्तोदय प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलगित करें।

नोट :- आप जिस किसी भी वर्ग / उप – वर्ग के अंतर्गत अपना आवेदन भेज रहे हैं कृपया :-

उसके समर्थन (Support) में अपने इलाके के सम्बंधित ज़िलाधीश / उप – मण्डलाधिकारी महोदय / मान्य प्रपत्रों पर जरी किये गये (मूल हिमाचल निवासी) SC/ST/OBC/Category आदि) प्रमाण-पत्र संलगित करें अन्यथा आपका उस वर्ग पर कोई भी अधिकार नहीं होगा।

12 a) क्या आपको किसी भी बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्था द्वारा debar या expel किया गया है। ....

b) यदि हां तो निम्नलिखित ब्यौरा दें :-

अ) बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्था का नाम जहां से आपको debar या expel किया गया है। ....

आ) वर्ष ....

इ) अवधि ....

ई) कारण ....

13. पंजीकरण प्रवेश शुल्क हेतु संलगित राशि का ब्यौरा भारतीय पोस्टल आर्डर / ड्राफ्ट का नंबर .... दिनांक ....राशि रुपए .... ।

14. संल्गित प्रमाण-पत्रों की सूची :-

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

15. प्रमाणित करता हूँ की इस आवदेन-पत्र में दी गई जानकारी एवं सूचना मेरे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार बिल्कुल सही है।
मैं वचन देता हूँ कि यदि योग्यता के आधार पर ....
कोर्स में मुझे प्रवेश के लिए चुने गया तो :

i) मैं ....कोर्स में प्रशिक्षण लेने को तैयार हूँगा / हूँगी तथा यदि प्रवेश कार्यक्रम के अंतर्गत यदि योग्यतानुसार प्रशिक्षण हेतु मेरा चयन हो गया तो मैं उसी समय कुल जमानत तथा शुल्क इत्यादी जमा करवा दूंगा / दूंगी।

ii) संस्थान द्वारा समय-समय पर बनाये गये / लागू किये गये अनुशासनिक नियमों एवं विनियमों का कठरोता से पालन करूँगा और वे सब मुझ पर बाध्य होंगे।

iii) मेरे चार्ज में जो साज सामान होगा उसका समुचित ध्यान रखूंगा और प्रशिक्षण पूरा होने पर सही हालत में वापिस देकर जाऊंगा।

iv) मैं यदि नियम अभिरुचि(Aptitude Test) में असफल हो जाऊं तो मुझे प्रशिक्षण से निकला जा सकता है और मेरा प्रशिक्षण जारी रखने पर कोई भी दावा नहीं होगा।

v) मैं स्वेच्छा से पूर्वक संस्थान की प्रशिक्षण की समाप्ति से पूर्व नहीं छोडूंगा और यदि मैं ऐसा करूँगा तो सरकार को पूर्ण अधिकार होगा कि मेरे प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि या जैसा भी सरकार / विभाग उचित समझें , मुझसे अथवा मेरे माता / पिता / संरक्षक से वसूल कर सकती हैं ।

vi) यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी सूचना किसी भी समय गलत पाई गई अथवा छुपाई गई तो मुझे उसी समय संस्थान से निकाल दिया जाये और मेरा प्रवेश पर किसी भी किस्म का अधिकार न होगा। सरकार को यह भी अधिकार होगा की यदि वह उचित समझें तो मुझ पर क़ानूनी कार्यवाही भी कर सकती हैं ।

vii) यदि मैंने प्रशिक्षण के दौरान किसी किस्म की अवांछित गतिविधियों में भाग लिया तो मुझे संस्थान से निकाल दिया जाए अथवा मेरे विरुद्ध कोई भी उचित / उपयुक्त कार्यवाही की जा सकती है ।

viii) सम्बंधित प्रधानाचार्य के निर्णय एवं निर्देश मुझ पर बाध्य होंगे ।

ix) अधिसूचना प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार मैं अपने सभी प्रमाण-पत्रों सहित निर्धारित स्थान तथा समय पर योग्यता प्रवेश संपन्न करने हेतु निजी तौर पर उपस्थित हूँगा अन्यथा प्रवेश हेतु विचार (Consider) न किये जाने पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं होगा ।

स्थान ....
दिनांक ....

(प्रार्थी के हस्ताक्षर)
प्रार्थी का नाम ....
पता ....
....
....................................पिन ....
दूरभाष न० ....

16. माता / पिता / संरक्षक द्वारा घोषणा पत्र
मेरे सुपुत्र /सुपुत्री /आश्रित/श्री/ कुमारी ………………………………………… मेरी स्वीकृति से हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश / आवदेन पत्र भर रहा है / रही है और मैं प्रमाणित करता हूं/ करती हूं कि इस प्रवेश आवदेन पत्र में उस द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान तथा बिश्वास के अनुसार बिल्कुल सही हैं। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं / करती हूं कि:

1) यदि प्रशिक्षण के लिए चुना गया / चुनी गई तो मैं प्रशिक्षण के दौरान उसके सद्-व्यवहार का ज़िमेंदार होगा / होगी ।

2) यदि वह नियत अभिरुचि टेस्ट ; में असफ़ल होगा / हो गई तो उसका प्रशिक्षण जारी रखने पर कोई दावा न होगा तथा उसे विभाग द्वारा प्रशिक्षण में निकाला जा सकता हैं।

3) यदि इस प्रवेश आवेदन-पत्र में दी गई सूचना किसी भी समय गलत अथवा छुपाई गई तो उसे संस्थान से निकला जा सकता हैं तथा इसके अतिरिक्त उसके लिए मेरे विरुद्ध उचित क़ानूनी कार्यवाही भी की जा सकती हैं।

4) यदि उसने स्वेच्छा से संस्थान को प्रशिक्षण की समाप्ति से पूर्व छोड़ दिया तो सरकार को पूर्ण अधिकार होगा। कि उसे प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशी या जैसा भी सरकार उचित समझें , मुझसे वसूल कर सकती है।

5) यदि प्रशिक्षण के दौरान उसने किसी भी अवांछनीय गतिविधियों में भाग लिया तो उसे संस्थान से निकाला जा सकता हैं। तथा उसके अतिरिक्त उसके विरुद्ध उचित / उपयुक्त क़ानूनी कार्यवाही भी की जा सकती हैं ।

6) सम्बन्धित प्रधानाचार्य महोदय के निर्णय एव निर्देश उस पर एवं मुझ पर बाध्य होंगे। उन द्वारा समय – समय पर लागू किये गये नियम तथा विनियम मेरे पुत्र / पुत्री / आश्रित /श्री / कुमारी ………………………….. को कठोरता से पालन करने होंगे।

7) मेरे पुत्र / पुत्री /आश्रित /श्री /कुमारी …………………………………… ने जो साज सामान उसके चार्ज में हैं उसे सही हालत में प्रशिक्षण समाप्ति पर वापिस न किया अथवा उसे जानबूझ कर तोड़ा तो मैं उस सारे साज -सामान कीमत जमा करवाऊंगा।

8) मेरे पुत्र / पुत्री /आश्रित पर किसी भी समय, यदि कोई जुर्माना शुल्क इत्यादि लगा तो मैं उसे अदा करूँगा।

स्थान ....

दिनांक ....

(माता/ पिता / सरंक्षक* के हस्ताक्षर)

पूरा नाम ....

(मोटे अक्षरों में)

प्रत्याशी से संम्बन्ध ....

पता ....

....

....................................पिन ....

दूरभाष न० ....

* केवल पिता की मृत्यु पर ही लागू होगा।

चयन के समय केवल कार्यालय प्रयोग के लिये

FOR OFFICE USE AT THE TIME OF SELECTION ONLY

1. Name of the Course ____
2. Date of Receipt of application __________________________________
3. Date of Interview ____
4. Qualification ____
5. Qualifying percentage of marks __________________________________
6. Categeory /Sub-Categeory to which the candidates belongs ____________
7. Result of Selection ____
8. Session ____
9. Date of joining the course ____________________________________
10. Whether belongs to Antodays Category __________________________

____

Chariman
Local Selection Committee
Industrial Training Institute

Dated ______________

APPENDIX-III

हिमाचल प्रदेश/भारत सरकार के हिमाचल प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के बच्चों से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र (केवल हिमाचल प्रदेश में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु)

हिमाचल प्रदेश सरकार/भारत सरकार के कर्मचारी जिस ज़िले में नियुक्त हों। उसके अंतर्गत भी आवेदन कर सकता है तथा उन्हें उस ज़िले का निवासी ही माना जायेगा। आवेदक को आपने अभिभावक से सम्बन्धित नियोक्ता द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी प्रमाण-पत्र लगाना आवश्यक है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती ....

(पिता/माता का नाम)

जो कि श्री /कुमारी .... का/ की पिता/ माता है, वह हिमाचल

(प्रत्याशी का नाम)

प्रदेश सरकार /भारत सरकार के .... विभाग का /की कर्मचारी हैं वह ....

(विभाग का नाम)

तिथि से इस विभाग में कार्यरत है तथा .... कार्यालय में .... में

(कार्यालय का नाम) (स्थान का नाम)

Appendix–IV

Undertaking

Undertaking form for the students taking admission in ITI under SCVT Trade on plain paper

I ……………………………….. D/O, S/O Sh. ……………………………….……. P.O. ………………………Vill………………………… Teh. …………………………… Distt ………………………………………. (H.P.) Pin Code…………………………… hereby undertake on dated………………………. (1)That I have applied for admission in ITI……………………………….. for the Trade ……………………………….. of my choice under SCVT scheme.

(2) That my Registration and Examination will be conducted under SCVT Scheme.

(3) I have been intimated by the staff of the ITI ……………………… that my examination and certificate shall be given/ issued under SCVT scheme.

(4) I understand that I shall be awarded SCVT certificate and I will never claim NCVT certificate at later stage.

(5) Sundernagar Shall be the area of legal jurisdiction for any dispute.

Dated: ……………………………

Place: …………………………..

Signature of Candidate

(Name of the Candidate
with complete Address)

Self Attested Undertaking on Plain Paper

Undertaking form for the students as per the provisions of HP Educational Institutions (prohibition of ragging) Act-2009

Mr./Mrs:- _________________________________S/O,D/O,W/O, Sh.______________________
Trade:- ____________________________Session/Semester:- ____________________________

Trainee of ___________________________ITI do here undertake on this Day____ Month_______
Year___________the following.

1- That I have read and understood the provisions of HP Educational Institutions (Prohibition of Ragging) Act-2009 and the measures proposed to be taken in the above reference.

2- That I understand the meaning of Ragging and know that ragging in any form is a punishable offence and the same is banned by the Court of Law.

3- That I have not been found or charged for my involvement in any kind of ragging in the past. However, I undertake to face disciplinary action/legal proceedings, including expulsion from the ITI, if the above statement is found to be untrue or facts are concealed, at any stage in future.

4- That I shall not resort to ragging in any form at any place and shall abide by the Rules/Laws prescribed by the Courts, Govt. of India / Govt. of Himachal Pradesh and the ITI authorities for the purpose from time to time.

Signature of Student

I hereby fully endorse the undertaking made by my child/ward.

Signature of Mother/Father or Guardian

Witness with name and Address:-
1). ___________________________
____

____

2). ___________________________
____

APPENDIX-V

हिमाचल प्रदेश/भारत सरकार के हिमाचल प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के बच्चों से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र (केवल हिमाचल प्रदेश में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु)

हिमाचल प्रदेश सरकार/भारत सरकार के कर्मचारी जिस ज़िले में नियुक्त हों। उसके अंतर्गत भी आवेदन कर सकता है तथा उन्हें उस ज़िले का निवासी ही माना जायेगा। आवेदक को आपने अभिभावक से सम्बन्धित नियोक्ता द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी प्रमाण-पत्र लगाना आवश्यक है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती ....

(पिता/माता का नाम)

जो कि श्री /कुमारी .... का/ की पिता/माता है, वह हिमाचल

(प्रत्याशी का नाम)

प्रदेश सरकार /भारत सरकार के .... विभाग का /की कर्मचारी हैं वह ....

(विभाग का नाम)

तिथि से इस विभाग में कार्यरत है तथा .... कार्यालय में .... में

(कार्यालय का नाम) (स्थान का नाम)

स्थान पर कार्यरत हैं

दिनांक ....

कार्यालय की मोहर

....

विभागाध्यक्ष की मोहर
तथा पदवी सहित हस्ताक्षर

APPENDIX-VI

सैनिक (Defence Personnel) तथा भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों तथा आश्रितों के बच्चों से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र :-

1. संस्था .... पदवी .... श्री . ... जो कि श्री /कुमारी/श्रीमती .... का

(पिता/पति का नाम) (प्रत्याशी का नाम)

पिता/पति है तथा .... मैं............................ से .... तक सेवा कर रहा है* सेवा की है।*

(अ).. के सक्रिय युद्ध में अथवा शान्तिकालीन (Peace Time) में शहीद हुए थे।

(उस युद्ध का नाम तथा वर्ष लिखें)

या

(आ) .... के सक्रिय युद्ध में अथवा (peace Time) शान्तिकालीन समय में अपंग हो गए थे।

(उस युद्ध का नाम तथा वर्ष लिखें)

या

(इ) सक्रिय सेवा से सामान्य सेवा परिस्थतियों के अन्तर्गत सेवा निवृत हुए थे।*

(ई) अब भी सक्रिय रक्षा सेवा में हैं।*

स्थान ....

तिथि ....

कार्यालय की मोहर

राज्य/ज़िला सैनिक बोर्ड के सचिव/
सम्बन्धित कमांडिंग ऑफिसर के कार्यालय
की मोहर तथा तिथि सहित हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दें।

APPENDIX-VII

स्वास्थ्य सम्बन्धित प्रमाण-पत्र (Medical Certificate)

नोट :- यह प्रमाण-पत्र केवल दाखिले के समय प्रस्तुत करना होगा।

मैं डॉक्टर .... सिविल अस्पताल

....

(नाम व पदवी)

प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्री /कुमारी .... जिसका फोटो मुझ द्वारा सत्यापित (Attested) करके यहाँ चिपकाया गया है का निरिक्षण भली प्रकार सावधानी से किया है और उसमें कोई ऐसी शारीरिक कमी नहीं है जो कि हिमाचल प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों /महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने हेतु किसी प्रकार बाध्य हो मैं इससे आगे सूचित करता हूँ कि :-

1. उसकी ऊंचाई .... मीटर है।

2. उसका भार .... किलोग्राम है।

3. उसकी छाती का माप (फैलाकर) ....(बिना फैलाकर) .... सेंटीमीटर है।

4. उसकी आंखें .... प्रतीत होती हैं।

5. यह ऐनक लगता है/लगती है .... नहीं लगता है/लगाती है।

दाईं आँख .... निकट दृष्टी ....दूर दृष्टी ....

बाईं आँख .... निकट दृष्टी ....दूर दृष्टी ....

6. उसकी दृष्टि निर्धारित स्तर के अनुसार हैं।

7. उसका ह्रदय तथा छाती दृढ है।

8. उसका रक्त ग्रुप .... है।

9. उसको ऐसी बीमारी या शारीरिक , दिमागी अस्थिरता नहीं है कि उसकी इस समय या निकट भविष्य में औद्योगिक प्रतिष्ठानों अथवा फिल्ड ड्यूटी के अयोग्य बनाने की सम्भावना रखती हो न ही संसर्ग अथवा संक्रमण रोग से पीड़ित है ।

पहचान के निशान .... अत: प्रत्याशी हिमाचल प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश योग्य है ।

प्रशिक्षणार्थी के अंगूठे का निशान ....

प्रशिक्षणार्थी के हस्ताक्षर ....

प्रत्याशी का पासपोर्ट माप का फोटो

दिनांक ....

स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर,

स्थान .... पदवी तथा अस्पताल की मोहर

यह फोटो प्रमाण-पत्र प्रदान करने वाले स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सत्यापित (attested) होना चाहिए ।

नोट :- 1. यह प्रमाण-पत्र उस स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए , जो कि दूसरी श्रेणी राजपत्रित स्तर से कम का न हो ।

2. स्वास्थ्य अधिकारी को अपने हस्ताक्षर एवं मोहर फोटो के ऊपर लगनी चाहिए।

3. यह प्रमाण-पत्र संस्थान में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

4. प्रशिक्षण प्रत्याशियों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला नहीं दिया जायेगा।

5. योग्यता क्रम में आने वाले ऐसे प्रत्याशी जिनके कि केवल एक आँख में ही ठीक एवं प्रयाप्त दृष्टी हो , को केवल उन्ही व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश बारे विचार किया जायेगा , जिनमें केवल एक आँख की दृष्टी प्रशिक्षण प्राप्त करने की लिए पर्याप्त हो तथा प्रशिक्षण उपरांत रोजगार प्राप्त करने में बाधक न हो , ऐसे प्रत्याशियों को योग्यता अनुसार सम्बन्धित व्यवसाय की डी.जी.ई.एंड टी. द्वारा इस विवरणिका में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखना अनिवार्य होगा । संसर्ग अन्य अथवा संक्रमण रोगों से पीड़ित प्रत्याशियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

6. नि:शक्त प्रशिक्षणार्थियों को निदेशक, समाज एवं महिला कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 5-7/88,वैल–ए-ए, दिनांक 23/3/1989 में निर्धारित निर्देशानुसार , ज़िला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिए गए मेडिकल सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रवेश रद्द समझा जायेगा।

APPENDIX-VIII

MEDICAL CERTIFICATE FOR PERSONS WITH DISABILITIES CANDIDATES

Certified that We, Dr.. Dr.......................................and Dr... as members of District Level Medical Board have thoroughly examined on..Sh./Kumari..S/O,D/O,W/O Shri..on.................................day of........................year............................the applicant, whose particulars are given below :-

Space for photo (Photograph to be attested by a member of the Medical Board with signatures, date and office stamp).

1. Name of candidate Shri/Miss...
2. Age/Sex..
3. Father's name Shri...
4. Address...
   ....
5. Identification mark...
6. (a) Nature of disability...
   (b) Extent of disability...
   (c) Limbs affected...
   (d) Use of appliance, if any...
   (Such as calipers, crutch etc.)
   (e) Whether suffering from vancreal or any epidemic desease.
7. Any other particular to clarify the nature and Extent of disability that the medical board might like To point out:-
   ………………………………………………………….
   ………………………………………………………….
8. Blood Group …………………………….

(Signature of Candidate)

Signature of Member of Board | Signature of Member of Board | Signature of Chief Medical Officer/ Sub- Divisiona Medical Officer

Designation………………… | Designation………………….. |

Date……………… | Date………………… | Date………………….

Note:- This certificate is to be issued by a Medical Board at the District level constituted in accordance with the provisions contained in the letter No. 5-7/88-Wel-AH dated 23-03-1989 of Director, Social and Women's Welfare, Himachal Pradesh Shimla (or as amended from time to time) consisting of the following members:-
The Chief Medical Officer/ Sub-Divisional Medical Officer in the District and an expert in the specified field viz. Opthalmic Surgeon in case of visually handicapped, Orthopaedic Surgeon etc.

Appendix-IX

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र

प्रत्याशी का पासपोर्ट माप का फोटो

1. प्रत्याशी का नाम : ....

2. पिता/माता का नाम : ....

3. व्यवसाय /क्षेत्र का नाम : ....

4. आई. टी. आई. का नाम : ....

5. पूरा पता :

अ) स्थाई : ....

....

.... पिन ....एस.टी.डी. सहित फ़ोन न०. ....

आ) स्थाई : ....

....

.... पिन ....एस.टी.डी. सहित फ़ोन न० .
....

6. आधार संख्या :

1. जन्म तिथि :
   अंकों में : ....

   शब्दों में: ....

   प्रत्याशी की प्रथम अगस्त, 2017 को आयु : .... वर्ष .... माह...................... दिन

2. रक्त ग्रुप : ....
3. वर्ग तथा उप-वर्ग का नाम जिसके अन्तर्गत प्रवेश हेतु आवेदन कर रहे हैं :
   (i) वर्ग

   (i) उप-वर्ग

छात्रावास के नियमों हेतु घोषणा-पत्र

मेरा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छात्रावास हेतु प्रवेश, विवरण पुस्तिका में निर्धारित नियमों के आधार पर होगा

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित नियम भी मुझ पर लागू होंगे:-

1) प्रशिक्षणार्थी को सायं 08:00 बजे के बाद देरी से छात्रावास में प्रवेश हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. प्रशिक्षणार्थी को छात्रावास में खाना बनाने की अनुमति नहीं होगी, उसे केवल छात्रावास की मेस में ही खाना, खाना होगा ।

3. छात्रावास में बिजली के हीटर , रौड इत्यादि का प्रयोग करना बिल्कुल वर्जित है। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार की वस्तुएं प्रयोग करता हुआ पकड़ा गया , तो उसे प्रत्येक बार कम से कम रूपये 100/- जुर्माना वसूल किया जायेगा।

4. छात्रावास परिसर या परिसर के बाहर किसी भी प्रकार का जुआ खेलना गम्भीर अपराध माना जाएगा तथा प्रशिक्षणार्थी को छात्रावास के साथ-साथ संस्थान से भी निष्कासित कर दिया जायेगा।

5. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी शराब या नशे की वस्तुएं लाता है या शराब पीकर /नशा करके आता है और तो उसे उसी समय छात्रावास के साथ-साथ संस्थान से निकाल दिया जायेगा।

6. छात्रावास में कमरों का आवंटन नियमानुसार किया जायेगा।

7. छात्रावास अधीक्षक की अनुमति के बिना किसी का भी कमरा बदला नहीं जायेगा।

8. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी छात्रावास के फर्नीचर , तथा अन्य सामान की सुरक्षा हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा और तोड़ फोड़ करने पर मुरम्मत पर किया गया व्यय सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी से वसूल किया जायेगा।

9. संस्थान व छात्रावास के परिसर में धुम्रपान आदि करना निषेध है।

10. प्रशिक्षणार्थी अपनी सम्पति का स्वयं जिम्मेवार होगा, इसके लिए संस्थान की जिम्मेदारी नहीं होगी। यह भी हिदायत दी जाती है कि वे अपने कमरे में कीमती वस्तुए या नकदी न रखें। नकद धनराशी निकटतम बैंक या डाक घर में जमा करनी चाहिए।

11. छात्रावास में किसी भी प्रशिक्षणार्थी को अपने साथ बाहरी व्यक्ति को रखने की अनुमति नहीं होगी।

12. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को हर एक माह की 10 तारीख से पहले-पहले मैस का बिल का भुगतान करना होगा अन्यतः उससे रूपये 10/- प्रतिदिन जुर्माना वसूल किया जायेगा ।

13. छात्रावास अधीक्षक की अनुमति के बिना छात्रावास में रह रहे प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान के कार्य दिवस के दौरान ठहरने की अनुमति नहीं होगी।

14. कोई भी प्रशिक्षणार्थी जो छात्रावास में रह रहा हो , वह छात्रावास अधीक्षक की अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं जायेगा।

15. छात्रावास में रैगिंग वर्जित है।

(प्रशिक्षणार्थी के हस्ताक्षर)

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए

अग्रेषित	**अधिकृत**	**अनुमोदित**
छात्रावास अधीक्षक	**समूह अनुदेशक (छात्रावास)**	**प्रधानाचार्य**

Appendix-"A"

DETAIL OF COURSES FOR WHICH ADMISSION IS TO BE MADE

Sr .No.	Name of the Institution	Name of Course	Duration of Course	No. of seats
01	Motor Driving and Heavy Earth Moving Machinery Operators Training School, Amb at Una	Motor Driving and Heavy Earth Moving Machiney Operators	01 Year	32 (16+16)

RAGGING, INSIDE/OUTSIDE THE INSTITUTION, IS AN OFFENCE. AS PER THE HIMACHAL PRADESH EDUCATIONAL INSTITUTIONS (PROHIBITION OF RAGGING) ACT-2009, EVERY OFFENCE UNDER THIS ACT SHALL BE COGNIZABLE, NON-BAILABLE AND COMPOUNDABLE WITH THE PERMISSION OF HON'BLE COURT. IF ANY STUDENT IS FOUND INDULGING IN RAGGING ACTIVITIES DIRECTLY OR INDIRECTLY, STRICT ACTION WILL BE TAKEN AGAINST HIM/HER AS PER LAW.